

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18



हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एक सुरक्षित, स्वच्छ तथा हरित कल के लिए पर्यावरण के बचाव, संरक्षण तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने कर्मचारियों की वचनबद्धताओं, समन्वयों तथा योगदानों तथा सभी सहृदयतापूर्ण प्रयासों की प्रशंसा करता है।

विषय-वस्तु

अध्याय 1 : प्रस्तावना

- 1.1 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एच एस पी सी बी)
- 1.2 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का दृश्य तथा उद्देश्य

अध्याय 2 : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बारे

- 2.1 बोर्ड की रचना
- 2.2 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अमला संख्या

अध्याय 3 : कार्यकलाप तथा अवसंरचना

- 3.1 बोर्ड के अनिवार्य कार्यकलाप
- 3.2 बोर्ड की अवसंरचना
- 3.3 बोर्ड का कार्यात्मक ढांचा

अध्याय 4 : प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय

- 4.1 चूक करने वाली इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही

अध्याय 5 : घोर रूप से तथा उच्च रूप से प्रदूषित उद्योग

- 5.1 घोर रूप से प्रदूषित उद्योग (जी पी आई एस)
- 5.2 उच्च रूप से प्रदूषित 17 प्रवर्ग उद्योग

अध्याय 6 : जागरुकता कार्यक्रम

- 6.1 जागरुकता कार्यक्रम

अध्याय 7 : बहिःस्राव उपचार संयन्त्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण

- 7.1 बहिःस्राव उपचार संयन्त्र (ई टी पी), मलजल उपचार संयन्त्र (एस टी पी) तथा सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सी ई टी पी)

7.2 वायु प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र (ए पी सी डी)

अध्याय 8 : जल अधिनियम, 1977 के अधीन उपकर संग्रहण

8.1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1977 के अधीन उपकर संग्रहण

अध्याय 9 : सतत् परिवेशी वायु गुण मोनिटरिंग

9.1 सामान्य

9.2 वर्ष 2017-18 के लिए सतत् परिवेशी वायु गुण मोनिटरिंग रिपोर्ट

अध्याय 10 : जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति

10.1 औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं का प्रवर्गीकरण :

लाल, नारंगी, हरा तथा सफेद प्रवर्ग

10.2 जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना की सहमति

10.3 जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने की सहमति

अध्याय 11 : खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट नियम, 2016

11.1 खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार

11.2 खतरनाक अपशिष्ट की रिसाईकलिंग/ पुनः प्रसंस्करण के लिए प्राधिकृत इकाईयों की स्थिति

11.3 खतरनाक अपशिष्ट के आयात के लिए व्यापारी के रूप में रजिस्टर्ड इकाईयों की स्थिति

11.4 सामूहिक खतरनाक अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा में खतरनाक अपशिष्ट की प्राप्ति तथा निपटान के बारे में स्थिति

11.5 खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अधीन वार्षिक रिपोर्ट

अध्याय 12 : ई- अपशिष्ट नियम, 2016

12.1 सामान्य

12.2 ई- अपशिष्ट को विखण्डित करने तथा रिसाईकलिंग के लिए रजिस्टर्ड इकाईयों के ब्यौरे

अध्याय 13 : बायो मेडिकल अपशिष्ट नियम, 2016

13.1 सामान्य

13.2 बायो मेडिकल अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार की स्थिति

13.3 बायो मेडिकल अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रबन्धकों के ब्यौरे

13.4 बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति

अध्याय 14 : बैटरी नियम, 2001

14.1 सामान्य

14.2 बैटरी (एम तथा एच) नियम, 2001 के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारियों की स्थिति

अध्याय 15 : प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016

15.1 सामान्य

15.2 प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016 के लागूकरण की स्थिति

अध्याय 16 : प्रशिक्षण प्रोग्राम

16.1 अटेन्ड किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कर्मशाला के ब्यौरे

अध्याय 17 : लोक शिकायतों का निवारण

17.1 प्राप्त तथा निपटान लोक शिकायतों की स्थिति

अध्याय 18 : पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई आई ए) अधिसूचना के अधीन लोक सुनवाई

18.1 सामान्य

18.2 बोर्ड द्वारा आयोजित लोक सुनवाई के ब्यौरे

अध्याय 19 : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

19.1 सामान्य

19.2 प्राप्त तथा निपटान आवेदनों के ब्यौरे

अध्याय 20 : आय तथा व्यय विवरणी

20.1 वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक प्राप्तियों के ब्यौरे

20.2 वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक व्यय के ब्यौरे

अध्याय 1 प्रस्तावना

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी)

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे हरियाणा राज्य की अधिकारिता के भीतर पर्यावरणीय कानूना तथा नियमों को लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है। बोर्ड राज्य के भीतर पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित विधानों, न्यायिक तथा वैधानिक घोषणाओं का उचित लागूकरण सुनिश्चित करता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रारम्भिक रूप से जल प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण करने तथा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने या पुनरुद्धार करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन अधिसूचना संख्या 86/(4)(iv)/74/33298, दिनांक सितम्बर 19, 1974 द्वारा गठित किया गया था।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) हरियाणा राज्य में लागू पर्यावरणीय कानूनों/नियमों/अधिसूचनाओं (वायु/जल) को लागू करने के लिए **अधिदेशाधीन** है। एचएसपीसीबी प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा कम करने पर राज्य सरकार की व्यापक योजनाएं तैयार करता है तथा सलाह देता है। एचएसपीसीबी के मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रबन्धन सहमति।
- हरियाणा के बड़े शहरों में परिवेशी वायु गुण की ऑनलाईन मोनिटरिंग।
- यमुना, घग्गर नदियों तथा अन्य जल निकायों के जल गुणवत्ता की मोनिटरिंग।
- उच्च रूप से प्रदूषित उद्योगों तथा सामूहिक उपचार तथा निपटान सुविधाओं से वायु उत्सर्जन तथा बहिःस्त्राव निर्वहन की ऑनलाईन मोनिटरिंग।
- ठोस कचरा प्रबन्धन, बायोमेडिकल, खतरनाक ई-अपशिष्ट, सी तथा डी तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों का लागूकरण।

- पर्यावरण व वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व भारत सरकार द्वारा जारी अरावली अधिसूचना का लागूकरण।
- पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 का लागूकरण।

एचएसपीसीबी को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के लागूकरण की अतिरिक्त जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को वायु के गुण के संरक्षण तथा वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन अतिरिक्त जिम्मेवारियां भी दी गई थी।

बोर्ड को बाद में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं के लागूकरण की जिम्मेवारी दी गई थी।

बोर्ड द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियम तथा नियम नीचे दिए गए हैं :-

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
4. सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए निम्नलिखित नियम तथा जारी की गई अधिसूचनाएं :-

(i) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा ट्रांसबाउन्डरी संचलन) नियम, 2016

(ii) खतरनाक रसायन विनिर्माण, भण्डारण तथा आयात नियम, 1989

(iii) बायोमैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016

- (iv) प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016
- (v) नगरपालिका ठोस कचरा (प्रबन्धन) नियम, 2016
- (vi) ई-कचरा (प्रबन्धन) नियम, 2016
- (vii) शोर प्रदूषण (विनियमन तथा नियन्त्रण) नियम, 2000
- (viii) बैटरी (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2001
- (ix) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006
- (x) कोयला या प्रज्वलित आधारित थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न राख के उपयोग के लिए निर्देशों के बारे में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (ईपीए) के अधीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 14.09.1999 की अधिसूचना।
- (xi) अरावली रेंज के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कतिपय गतिविधियों को प्रतिबन्धित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 07.05.1992 की अधिसूचना।

एचएसपीसीबी का विजन तथा उद्देश्य


उपरोक्त **अधिदेश** को पूरा करने के अलावा, एचएसपीसीबी की दृष्टि तथा उद्देश्य सख्त प्रवर्तन, मोनिटरिंग, निरीक्षण, प्राधिकार तथ विधिक हस्तक्षेप के माध्यम से प्रदूषण (वायु तथा जल) के स्तर में आसपास क्रमिक तथा सुसंगत कमी लान के लिए है। हरियाणा विजन दस्तावेज 2030 एचएसपीसीबी द्वारा मजबूत विनियामक ढांचा प्रस्तुत करना वर्णित करता है। तथापि, विशाल संसाधन अपेक्षित हैं। एचएसपीसीबी व्यापक योजनाओं (राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय हस्तक्षेप) के माध्यम से प्रदूषण (वायु तथा जल) के स्तरों में कटौती प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

अध्याय –2 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के बारे में

2.1 बोर्ड की रचना

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 5 संबंधित राज्यों में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के गठन के लिए राज्य सरकार को शक्ति मुहैया करती है। अधिनियम के कथित उपबन्धों के अनुसार, बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामांकित अध्यक्ष, सदस्य-सचिव तथा पन्द्रह अन्य सदस्य शामिल हैं। बोर्ड के सदस्यों में सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा राज्य नियन्त्रित निगमों के प्रतिनिधि तथा कृषि, मत्स्य, उद्योग या व्यापार के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्ति भी शामिल हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड का अध्यक्ष :

- 
- श्री के. के. खण्डेलवाल, आई ए एस (04.01.2017 से 24.08.2017)
 - श्री श्रीमती धीरा खण्डेलवाल, आई ए एस (27.08.2017 से 13.12.2017)
 - श्री अशोक खेत्रपाल (14.12.2017 से आगे)

सरकारी सदस्य

निदेशक, पर्यावरण विभाग, हरियाणा, एस सी ओ नं0 1,2,3, सक्टर -17 डी, दूसरी मंजिल, चण्डीगढ़

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, एस सी ओ नं0 6-7, सैक्टर -17 बी, चण्डीगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला

परिवहन आयुक्त, हरियाणा, 30-बेज बिल्डिंग, चण्डीगढ़

मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग,

हरियाणा, पंचकुला

सदस्य सचिव, सचिव हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

सी-11, सैक्टर -6, पंचकुला

स्थानीय प्राधिकरणों से सदस्य

कुमारी वीना रानी, अध्यक्ष, जिला परिषद, जीन्द, मकान नं0 2642, शहरी सम्पदा,
जीन्द

श्री अशोक अरोड़ा, मेयर, नगर निगम, फरीदाबाद

श्री जितेन्द्र भारद्वाज सपुत्र श्री सुभाष चन्द, एम-39, ओल्ड डो एल एफ, निकट
सैक्टर -14, गुरुग्राम

श्री सुरिन्द्र लाल प्रजापत, उपाध्यक्ष, एम सी धारुहेड़ा, फरीदाबाद, मकान नं0 1016,
सैक्टर -15, फरीदाबाद

कृषि, मत्स्य, उद्योग तथा व्यापार आदि से सदस्य

श्री तरुण यादव, गांव व डाकखाना पालावास बोहराण,
तहसील कोसली, रेवाड़ी

अरविन्द कपूर, एम डी, रिचो आटो उद्योग, 33 के एम स्टोन,
दिल्ली-जयपुर राजमार्ग, गुरुग्राम

श्री सुनिल राव, मकान नं0 444, सैक्टर-3, शहरी सम्पदा, रेवाड़ी

निगमों तथा कम्पनियों से सदस्य

प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम

प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम,
पंचकुला

2.2 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अमला संख्या

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	भरे हुए	रिक्त	टिप्पणी
ग्रुप -क					
1.	अध्यक्ष	01	01	-	
2.	सदस्य-सचिव	01	01	-	
3.	वरिष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर	02	-	02	
4.	वरिष्ठ विज्ञानी	01	01	-	
5.	पर्यावरणीय इंजीनियर	21	12	09	01 प्रतिनियुक्ति पर
6.	विज्ञानी "ग"	07	04	03	
7.	जिला न्यायवादी	01	01	-	
8.	डेवलपमेंट टीम लीडर	01	-	01	
ग्रुप -ख					
1.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	01	01	-	
2.	लेखा अधिकारी	01	-	01	
3.	प्रशासनिक अधिकारी	01	-	01	01 अधीक्षक फिर से कार्यरत
4.	कानून अधिकारी	01	-	01	
5.	सहायक जिला न्यायवादी	03	02	01	
6.	विज्ञानी "ख"	20	10	10	
7.	सहायक पर्यावरणीय इंजीनियर	49	36	13	03 सहायक पर्यावरणीय इंजीनियर प्रतिनियुक्ति पर
8.	सॉफ्टवेयर डेवलपर	01	-	01	

वार्षिक रिपोर्ट-2017-18

9.	तहसीलदार	01	-	01	
10.	अधीक्षक	03	03		
11.	निजी सचिव	02	02		
ग्रुप -ग					
1.	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	01		01	01 अनुभाग अधिकारी फिर से कार्यरत
2.	सहायक सॉफ्टवेयर डेवलपर	02		02	
3.	उप अधीक्षक	01	01	-	
4.	सांख्यिकीय सहायक	01	-	01	
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	07	03	04	
6.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	10	-	10	
7.	निजी सहायक	01	-	01	
8.	कनिष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर	13	06	07	03 कनिष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर प्रतिनियुक्ति पर
9.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	03	02	01	
10.	सहायक	32	21	11	02 सेवानिवृत्ति के बाद लगे
11.	लेखाकार	04	02	02	02 व्यक्ति अनुबंध के आधार पर
12.	कनिष्ठ प्रोग्रामर /कंप्यूटर ऑपरेटर	01	01	-	01 पद घटते कैडर में स्वीकृत किया गया
13.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	02	-	02	

वार्षिक रिपोर्ट-2017-18

14.	लेखा लिपिक	02	-	02	
15.	आशुटकक	08	-	08	
16.	थलपिक	22	11	11	
17.	चालक	17	10	07	
18.	प्रयोगशाला परिचारक	10	01	09	
ग्रुप -घ					
1.	दफतरी	01	01	-	
2.	वरिष्ठ सेवादार	02	02	-	
3.	सेवादार	30	07	23	
4.	माली-कम-चौकीदार	02	02	-	02 पद घटते कैडर में स्वीकृत किए गए
5.	क्षेत्र परिचारक	10	05	05	
6.	स्वीपर	01	01	-	01 पद घटते कैडर में स्वीकृत किया गया

अध्याय 3 कार्यकलाप तथा अवसंरचना

3.1 बोर्ड के अनिवार्य कार्यकलाप

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-17 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-17 में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की विधिक रूप से अनिवार्य जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से विहित हैं जिसका संक्षिप्त सार निम्न अनुसार है :-

- राज्य में जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण करने या कम करने तथा उसके निष्पादन को पक्का करने के लिए व्यापक प्रोग्राम की योजना तैयार करना;
- जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने से संबंधित किसी मामले पर राज्य सरकार का सलाह देना;
- जल तथा वायु प्रदूषण से संबंधित सूचना एकत्र करना तथा उसके निवारण, नियन्त्रण या कम करने के लिए प्रचार करना;
- जल प्रदूषण की समस्या तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने से संबंधित अन्वेषण तथा अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना, संचालन करना तथा उसमें भाग लेना;
- जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने से संबंधित कार्यक्रमों में लगे या लगाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने तथा उससे संबंधित व्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड को सहयोग देना;
- मल जल तथा व्यापार बहिःस्राव के उपचार के लिए स्थापित मलजल या व्यापार बहिःस्राव उपचार संकर्म तथा संयन्त्रों तथा जल के उपचार के लिए स्थापित संयन्त्रों, उसके शुद्धिकरण के लिए संकर्मों से संबंधित योजनाओं, विशिष्टियाँ या अन्य डाटा के पुनरीक्षण तथा मलजल या व्यापार बहिःस्राव के निपटान के लिए प्रणाली या कोई सहमति देने के संबंध में जो जल अधिनियम या वायु अधिनियम द्वारा अपेक्षित हा या कोई प्राधिकार या रजिस्ट्रेशन देने के संबंध में जो पर्यावरण

(संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित हो, का निरीक्षण करना;

- सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी नियन्त्रण उपकरण, औद्योगिक संयन्त्र या विनिर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण करना तथा ऐसे व्यक्तियों को आदेश द्वारा ऐसे निर्देश देना जो यह वायु प्रदूषण का निवारण, नियन्त्रण या कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने आवश्यक समझे।
- ऐसे अन्तरालों पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र का निरीक्षण करना जो यह उसमें वायु गुण के निर्धारण तथा ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने के लिए कदम उठाने आवश्यक समझे;
- मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव तथा बहिःस्राव के निर्वहन के परिणामस्वरूप जल प्राप्ति (अन्तर-राज्य नदी में जल का नहीं) के गुण तथा राज्य के जल का वर्गीकरण करने के लिए मानक अधिकथित करना, संशोधित करना या वार्षिक बहिःस्राव मानक अधिकथित करना;
- केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिकथित वायु गुण के लिए मानकों, औद्योगिक संयन्त्रों तथा आटोमोबाइल से वातावरण में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के मानकों को ध्यान में रखते हुए तथा किसी भी प्रकार के किसी अन्य स्रोत जहाज तथा वायुयान के कारण नहीं, वातावरण में किन्हीं वायु प्रदूषकों के निर्वहन के लिए मानक अधिकथित करना;
- विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी, जलवायु तथा जल संसाधनों की विशिष्ट स्थिति तथा नदी तथा कुओं में जल के विशेष रूप से अधिक अभिभावी बहाव को ध्यान में रखते हुए मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के उपचार के लाभकारी तथा विश्वसनीय पद्धति तैयार करना जो तनुकरण की न्यूनतम डिग्री प्राप्त करने के लिए उसे असंभव करे;
- कृषि तथा अन्य उपयोगों में मलजल तथा उपयुक्त व्यापार बहिःस्राव के उपयोग की पद्धति तैयार करना;
- भूमि पर मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के निपटान की पर्याप्त पद्धति तैयार करना जो अल्प नदी बहाव की अभिभावी स्थिति के कारण आवश्यक हो कि वर्ष के बड़े भाग के लिए तनुकरण की न्यूनतम डिग्री मुहैया नहीं करती है;

- किसी विशेष नदी में उपलब्ध न्यूनतम स्वच्छ मौसम तनूकरण को ध्यान में रखते हुए उस नदी में बहाए जाने वाले मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के उपचार तथा ऐसे बहिःस्राव के निर्वहन के बाद नदी के जल में अनुज्ञेय प्रदूषण की सहन सीमाओं के मानक अधिकथित करना;
- नदी या कुओं में अपशिष्ट के निर्वहन के निवारण, नियन्त्रण तथा कम करने के लिए तथा मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के निपटान के लिए नई प्रणाली का निर्माण करने के लिए संबंधित किसी व्यक्ति से अपेक्षा करने या किसी ऐसी विद्यमान प्रणाली को संशोधित करने, बदलने या विस्तार करने या ऐसे उपचारी उपाय अपनाने के लिए कोई आदेश करना, परिवर्तित करना या रद्द करना जो जल प्रदूषण को रोकने, नियन्त्रण या कम करने के लिए आवश्यक हो;
- मलजल या मलिन जल या दोनों का निर्वहन करते समय व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले बहिःस्राव मानक अधिकथित करना तथा मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के लिए बहिःस्राव मानक अधिकथित, संशोधित या रद्द करना;
- किसी उद्योग के किन्हीं परिसरों या स्थान की उपयुक्तता के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना जिसमें वायु प्रदूषण करने की संभावना या किसी नदी या कुएं को प्रदूषित करने की संभावना है;
- ऐसे अन्य कार्य करना जो विहित किए जाएं या जो समय-समय पर केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं; तथा
- ऐसी अन्य बातें करना तथा ऐसे अन्य कार्य करना जो वह अपने कार्यों के उचित निर्वहन के लिए तथा साधारणतया वायु अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के पयोजन के लिए आवश्यक समझे।


यद्यपि बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेवारी हरियाणा राज्य में पर्यावरणीय विनियमों को लागू करने के लिए है किन्तु पिछले दशक के दौरान प्रदूषण को नियन्त्रित करने तथा सामंजस्य के माध्यम से लम्बे समय से विभिन्न स्थाई पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान भी करने के लिए आर्थिक साधनों सहित कमाण्ड तथा नियन्त्रण प्रणाली के विवेकपूर्ण मिश्रण से पर्यावरणीय विनियमों को लागू करने की धारणा में प्रतिमान बदल गया है, जहां बोर्ड अपने अनिवार्य कार्यकलापों से बाहर चला गया है तथा सरकारी विभागों की परियोजनाओं में

प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए प्रोत्साहक के रूप में कार्य कर रहा है, सहायता मुहैया कर रहा है।

3.2 बोर्ड की अवसंरचना

बोर्ड की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। राज्य में बोर्ड के 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि धारुहेड़ा, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद (दो-फरीदाबाद, बल्लभगढ़), बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, हिसार, यमुनानगर तथा भिवानी में स्थित हैं।

बोर्ड ने विभिन्न उद्योगों/परियोजनाओं के बहिःस्राव/जल तथा वायु उत्सर्जन तथा जल निकायों तथा परिवेशी वायु गुण के विभिन्न किस्म के नमूनों के विश्लेषण के कार्य करने के लिए पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा हिसार में चार प्रयोगशालाएं स्थापित की है।



3.3 बोर्ड की कार्यात्मक संरचना

बोर्ड अपने इंजीनियरिंग विंग, वैज्ञानिक विंग, कानूनी विंग, प्रशासकीय विंग, लेखा विंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी सैल के माध्यम से कार्य करता है। इंजीनियरिंग विंग की अध्यक्षता पर्यावरणीय इंजीनियरों द्वारा की जाती है तथा मुख्य रूप से हरियाणा राज्य में विभिन्न पर्यावरणीय विधानों को लागू करने में शामिल है जिसमें लोक शिकायतों के कार्य की निगरानी तथा उनका निवारण करना भी शामिल है।

बोर्ड की चार प्रयोगशालाओं की देखभाल करने के लिए वैज्ञानिक विंग की अध्यक्षता विज्ञानियों द्वारा की जाती है तथा विभिन्न पर्यावरणीय मानीटरिंग परियोजनाओं तथा विभिन्न पर्यावरणीय विधानों को लागू करने में भी शामिल है। विभिन्न कानूनी न्यायालयों में बोर्ड के विधिक पहलुओं की देखभाल करने तथा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिक विंग की अध्यक्षता जिला न्यायवादी द्वारा की जाती है। प्रशासकीय विंग बोर्ड के कर्मचारियों के प्रशासकीय तथा व्यक्तिगत मामलों की देखरेख कर रहा है। लेखा विंग बोर्ड के लेखों तथा वित्त से संबंधित मामलों की देखरेख कर रहा है।

अध्याय- 4 : दोषी इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही

4.1 बन्द करने की (बन्दी) कार्यवाही

बोर्ड ऐसी इकाईयां जो जल अधिनियम, 1974/वायु अधिनियम, 1981 के अधीन प्रदूषकों के निर्वहन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है या बोर्ड की सहमति प्राप्त करने में असफल हैं या समय-समय पर विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों के अधीन बोर्ड या सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जारी निर्देशनों का अनुपालन करने में असफल होती है, के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-क के अधीन, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1986 की धारा 31-क के अधीन तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन बन्दी कार्रवाई कर रहा है।

उपरोक्त कथित अधिनियमों के अधीन अनुपालन न करने के कारण चूक करने वाली इकाईयों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-

क्षेत्र	ई पी अधिनियम, 1986 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयां की संख्या	जल अधिनियम, 1974 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या	वायु अधिनियम, 1981 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या	जल तथा वायु अधिनियम के अधीन संयुक्त रूप से जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या	जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की कुल संख्या
बहादुरगढ़	0	0	34	16	50
बल्लभगढ़	0	0	18	15	33
धारुहेड़ा	2	0	4	3	9
फरीदाबाद	0	20	15	14	49
गुरुग्राम (उत्तर)	0	0	5	29	34
गुरुग्राम (दक्षिण)	0	0	0	13	13

क्षेत्र	ई पी अधिनियम, 1986 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयां की संख्या	जल अधिनियम, 1974 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या	वायु अधिनियम, 1981 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या	जल तथा वायु अधिनियम के अधीन संयुक्त रूप से जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या	जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की कुल संख्या
हिसार	0	0	1	10	11
जीन्द	0	0	8	1	9
पंचकुला	0	0	0	40	40
पानीपत	0	35	6	25	66
सोनीपत	2	0	1	22	25
यमुनानगर	4	0	0	89	93
कुल	8	55	92	277	432

विधिक कार्रवाई

बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अधीन विशेष पर्यावरण न्यायालयों में न्यायालय मामले दायर करते हुए उपरोक्त कथित अधिनियमों/नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी कर रहा है।

न्यायालय मामलों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(क) दायर किए गए नए मामले :

क्षेत्र	इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध ई पी अधिनियम, 1986 के अधीन न्यायालय मामला दायर किया गया है	इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 के अधीन न्यायालय मामला दायर किया गया है	इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध वायु अधिनियम, 1981 के अधीन न्यायालय मामला दायर किया गया है	इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन न्यायालय मामला एक साथ दायर किया गया है
बहादुरगढ़	0	0	1	0
बल्लभगढ़	0	0	0	1
गुरुग्राम (उत्तर)	0	1	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	0	3	01	0
हिसार	0	0	30	0
जीन्द	5	0	0	0
पानीपत	0	2	0	2
कुल	5	6	32	3

(ख) निर्णीत न्यायालय मामले :

क्षेत्र	ई पी अधिनियम के अधीन निर्णीत न्यायालय मामलों की संख्या		जल अधिनियम, 1974 के अधीन निर्णीत न्यायालय मामलों की संख्या		वायु अधिनियम, 1981 के अधीन निर्णीत न्यायालय मामलों की संख्या		निर्णीत न्यायालय मामलों की कुल संख्या	
	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरुद्ध	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरुद्ध	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरुद्ध	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरुद्ध
बहादुरगढ़	0	0	1	0	0	0	1	0
बल्लभगढ़	0	0	0	1	0	2	0	3
फरीदाबाद	0	0	1	0	0	0	1	0
गुरुग्राम (उत्तर)	1	5	1	0	0	2	2	7
गुरुग्राम (दक्षिण)	0	35	0	0	0	0	0	35
हिसार	0	2	0	0	0	0	0	2
जीन्द	0	0	0	0	3	0	3	0
पंचकुला	1	2	0	4	0	4	1	9
पानीपत	0	0	2	0	2	0	4	0
सोनीपत	0	0	0	1	0	1	0	2
यमुनानगर	0	0	0	2	0	1	0	3
कुल	2	44	5	8	5	10	12	61

(ग) विशष पर्यावरण न्यायालयों में लम्बित न्यायालय मामले :

क्षेत्र	ई पी अधिनियम के अधीन लम्बित न्यायालय मामलों की संख्या	जल अधिनियम के अधीन लम्बित न्यायालय मामलों की संख्या	वायु अधिनियम के अधीन लम्बित न्यायालय मामलों की संख्या	जल तथा वायु (दोनों) अधिनियम के अधीन लम्बित न्यायालय मामलों की संख्या
बहादुरगढ़	18	1	19	1
बल्लभगढ़	0	1	0	18
धारुहेड़ा	2	4	4	10
फरीदाबाद	6	34	1	2
गुरुग्राम (उत्तर)	95	4	6	10
गुरुग्राम (दक्षिण)	234	0	0	0
हिसार	01	0	31	0
जीन्द	1	5	14	20
पंचकुला	3	4	0	27
पानीपत	0	4	3	5
सोनीपत	6	3	1	10
यमुनानगर	3	3	4	10
कुल	369	63	83	113

अध्याय-5 : घोर रूप से तथा उच्च रूप से प्रदूषित उद्योग

5.1 घोर रूप से प्रदूषण वाले उद्योग (जी पी आई)

जलमार्ग में बहिःस्राव छोड़ने वाले उद्योग तथा

(क) खतरनाक पदार्थों का निपटान, या

(ख) 100 किलाग्राम प्रति दिन या अधिक के जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बी ओ डी) भार वाले बहिःस्राव, या

(ग) (क) तथा (ख) के संयोजन को केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सी पी सी बी) द्वारा घोर रूप से प्रदूषित इकाई के रूप में वर्गीकृत किया है। वर्ष 1993-94 में, सी0 पी0 सी0 बी0 ने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नदियों में अनुपचारित बहिःस्राव के निर्वहन का नियन्त्रण करने के लिए नदियों के साथ उद्योगों की पहचान करनी शुरू की है।

जल अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के अधीन सी पी सी बी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा घोर रूप से प्रदूषित उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए जी0 पी0 आई0 को सूचीबद्ध करने के लिए 14 जुलाई, 1997 को सभी राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों/प्रदूषण नियन्त्रण समितियों को निर्देश जारी किए गए थे।

उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार हरियाणा में घोर रूप से प्रदूषित उद्योगों की स्थिति नीचे दी गई है :-

क्षेत्र	घोर रूप से प्रदूषित उद्योगों की संख्या	अनुपालन स्थिति		अननुपालन इकाईयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही			
		अनुपालन	अननुपालन	बन्दी	अभियोजन	बन्दी तथा अभियोजन	एससीएन के अधीन
बहादुरगढ़	77	77	0	0	0	0	0
बल्लभगढ़	134	120	14	14	0	0	0
धारुहेड़ा	12	12	0	0	0	0	0

क्षेत्र	घोर रूप से प्रदूषित उद्योगों की संख्या	अनुपालन स्थिति		अननुपालन इकाईयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही			
		अनुपालन	अननुपालन	बन्दी	अभियोजन	बन्दी तथा अभियोजन	एससीएन के अधीन
फरीदाबाद	14	14	0	0	0	0	0
गुरुग्राम (उत्तर)	126	126	0	0	0	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	115	115	0	0	0	0	0
जीन्द	02	2	0	0	0	0	0
पंचकुला	45	37	8	8	0	0	0
पानीपत	12	12	0	0	0	0	0
सोनीपत	110	110	0	0	0	0	0
यमुनानगर	9	9	0	0	0	0	0
कुल	656	634	22	22	0	0	0

5.2 उच्च रूप से प्रदूषण वाले 17 प्रवर्ग के उद्योग

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उच्च रूप से प्रदूषित उद्योगों में पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 16 जनवरी, 1991 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्राथमिक कार्रवाई के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम सूत्रबद्ध किया है।

सो0 पी0 सी0 बी0 ने भारी प्रदूषित उद्योगों के 18 प्रवर्गों का चयन किया है तथा विचार-विमर्श के बाद उच्च रूप से प्रदूषित उद्योगों के 17 प्रवर्गों का एल्यूमिनियम प्रगलन, बेसिक ड्रग तथा फार्मासियुटिकल निर्माण, चलोरा अल्काली/कास्टिक सोडा, सीमेन्ट, तांबा प्रगलन, रंग तथा रंग मध्यस्थ, आसवनी, उर्वरक, समेकित लोहा तथा इस्पात, चर्म शोधन सहित चमड़ा प्रसंस्करण, तेल परिष्करण शाला, कीटनाशी निर्माण, गूदा या कागज, पेट्रोरसायन, चीनी, थर्मल पावर प्लांट तथा जिंक प्रगलन के नाते सी0 पी0 सी0 बी0 के माध्यम से नियमित पोछा करने का निश्चय किया है।

उच्च रूप से प्रदूषित उद्योगों के 17 प्रवर्गों की स्थिति नीचे दी गई है :-

क्षेत्र	उच्च रूप से प्रदूषित उद्योगों के 17 प्रवर्गों की संख्या	के अधीन अनुपालन स्थिति			अननुपालन इकाईयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही			
		वायु अधिनियम	जल अधिनियम	एच डब्ल्यू एम नियम	बन्दी	अभियोजन	बन्दी तथा अभियोजन	एस सी एन के अधीन
बहादुरगढ़	25	25	25	22	0	0	0	0
बल्लभगढ़	4	4	4	4	0	0	0	0
धारुहेड़ा	1	1	1	1	0	0	0	0
फरीदाबाद	1	1	1	1	0	0	0	0
गुरुग्राम (उत्तर)	1	1	1	1	0	0	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	3	3	3	3	0	0	0	0
हिसार	5	4	4	4	1	0	0	0
जीन्द	7	4	4	2	0	0	0	0
पंचकुला	13	11	11	11	1	0	0	0
पानीपत	9	9	9	7	0	0	0	0
सोनीपत	16	0	16	0	0	0	0	0
यमुनानगर	16	16	16	16	1	0	0	0
कुल	101	79	95	72	3	0	0	0

अध्याय-6 जागरुकता प्रोग्राम

6.1 जागरुकता प्रोग्राम

विभिन्न पर्यावरण समस्याओं पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिए हरियाणा राज्य के विभिन्न स्थानों पर जागरुकता प्रोग्राम आयोजित किए गए थे।

आयोजित जागरुकता प्रोग्रामों के ब्योरे क्षेत्रवार नीचे दिए गए हैं :-

क्षेत्रीय कार्यालय	आयोजित जागरुकता प्रोग्रामों की संख्या
बहादुरगढ़	6
बल्लभगढ़	6
धारुहेड़ा	13
फरीदाबाद	3
गुरुग्राम (उत्तर)	6
गुरुग्राम (दक्षिण)	5
हिसार	4
जीन्द	32
पंचकुला	14
पानीपत	7
सोनीपत	10
यमुनानगर	5
कुल	111

अध्याय-7 : बहिःस्राव उपचार संयन्त्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र के ब्यौरे

7.1 ई टी पी, एस टी पी तथा सी ई टी पी

बहिःस्राव उपचार संयन्त्र (ई टी पी), मलजल उपचार संयन्त्र (एस टी पी) तथा सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सी ई टी पी)

व्यापार बहिःस्राव तथा घरेलू बहिःस्राव (10 किलो लीटर प्रतिदिन से अधिक) उत्पन्न करने वाली सभी प्रदूषित औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए विहित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसका नियमित रूप से रख-रखाव करने तथा उसके बाद प्रभावशाली रूप से उसे चलाने के लिए उसे चालू करने से पूर्व ई टी पी/एस टी पी लगाने अपेक्षित हैं।

औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं में लगाई गई नई ई टी पी/एस टी पी के ब्योरे :-

क्षेत्र	नई लगाई गई ई टी पी/एस टी पी की संख्या		
	ई टी पी	एस टी पी	ई टी पी तथा एस टी पी दोनों
बहादुरगढ़	18	4	3
बल्लभगढ़	16	2	1
धारुहेड़ा	4	0	0
फरीदाबाद	3	2	1
गुरुग्राम (उत्तर)	9	20	1
गुरुग्राम (दक्षिण)	22	10	0
हिसार	10	7	0
पंचकुला	18	6	1
पानीपत	10	2	0
सोनीपत	30	4	0

क्षेत्र	नई लगाई गई ई टी पी/एस टी पी की संख्या		
	ई टी पी	एस टी पी	ई टी पी तथा एस टी पी दोनों
यमुनानगर	19	0	1
कुल	159	57	8

संशोधित/अपग्रेडिड ई टी पी/एस टी पी वाले उद्योगों/परियोजनाओं के ब्योरे:-

क्षेत्र	संशोधित ई टी पी उद्योगों की संख्या	संशोधित एस टी पी उद्योगों की संख्या	संशोधित एस टी पी तथा ई टी पी दोनों उद्योगों की संख्या
बहादुरगढ़	0	1	0
धारुहेड़ा	6	3	0
फरीदाबाद	1	1	0
गुरुग्राम (उत्तर)	1	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	2	1	0
हिसार	1	0	0
पानीपत	8	0	0
सोनीपत	6	1	0
यमुनानगर	6	0	0
कुल	31	7	0

विभिन्न नगरों में लगाई गई एस टी पी के ब्यौरे

क्षेत्र	लगाई गई नई एस टी पी की संख्या	नगरों की संख्या जहां नई एस टी पी लगाई गई	क्षमता
गुरुग्राम (उत्तर)	1	1	4.5 एमएलडी
गुरुग्राम (दक्षिण)	1	1	4.5 एमएलडी
हिसार	7	7	93.5 एमएलडी
जीन्द	1	1	9 एमएलडी
पंचकुला	1	1	0.25 एमएलडी
कुल	11	11	116.25 एमएलडी

औद्योगिक समूहों/सम्पदाओं में लगाई गई नई सी ई टी पी के ब्यौरे

क्षेत्र	लगाई गई नई सी ई टी पी की संख्या	स्थान	क्षमता
बहादुरगढ़	1	आई एम टी, रोहतक	10 एमएलडी
पंचकुला	1	एच एस आई आई डी सी साहा अंबाला	5 एमएलडी
कुल	2	—	15 एमएलडी

7.2 वायु प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र (ए पी सी डी)

वायु उत्सर्जन के स्रोत वाली सभी प्रदूषित औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए प्रदूषण के स्रोत से संलग्न ढेरों से उत्पन्न विविक्त मामलों तथा गैसीय उत्सर्जन तथा विहित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को प्रक्रिया से उत्पन्न अस्थायी उत्सर्जन को नियन्त्रित करने के लिए उसका नियमित रूप से रख रखाव करने तथा उसके बाद उसे प्रभावी रूप से चलाने से पूर्व ए पी सी डी लगाने अपेक्षित हैं।

नए/ संशोधित ए० पी० सी० डी० लगाने वाली औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं का ब्योरा :-

क्षेत्र	नए ए पी सी एम लगाने वाले उद्योगों की संख्या	संशोधित ए पी सी एम वाले उद्योगों की संख्या
बहादुरगढ़	46	0
बल्लभगढ़	12	0
धारुहेड़ा	9	4
गुरुग्राम (उत्तर)	18	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	11	1
हिसार	10	0
पंचकुला	19	1
पानीपत	8	0
सोनीपत	77	1
यमुनानगर	86	0
कुल	296	7

अध्याय- 8 : जल अधिनियम, 1977 के अधीन उपकर संग्रहण

8.1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1977 के अधीन उपकर संग्रहण

भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से उद्योगों तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा खपत जल पर उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण का उपबन्ध करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1977 अधिनियमित किया है। जल उपकर अधिनियम, 1977 प्रथम अप्रैल, 1978 से लागू हुआ था। अधिनियम की धारा 2 तथा धारा 3 में परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण तथा उद्योग उपरोक्त कथित अधिनियम में विहित दरों पर उपकर का भुगतान करने के लिए दायी हैं।

वर्ष 2017-18 के दारान 2,48,65,072/- रुपये की उपकर राशि संग्रहित की गई है तथा क्षेत्रवार ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-

क्षेत्र का नाम	निर्धारित उपकर (रु० में)	संग्रहित उपकर (रु० में)
बहादुरगढ़	142176	1376794
बल्लभगढ़	3593706	1459793
धारुहेड़ा	515083	907906
फरीदाबाद	835140	3081623
गुरुग्राम (उत्तर)	1006928	364624
गुरुग्राम (दक्षिण)	628813	499780
हिसार	2960671	1631032
जीन्द	462502	483586
पंचकुला	2038407	1835597
पानीपत	3383576	4404749
सोनीपत	839738	1760159
यमुनानगर	1512225	7059429
कुल	17918965	24865072

नोट :- संग्रहित उपकर की राशि में उपकर का बकाया भी शामिल है।

अध्याय- 9 : सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी

9.1 सामान्य

देश के आर-पार वायु प्रदूषण के बढ़ने से बारह पैरामीटरों के लिए संशोधित राष्ट्रीय परिवेशी वायुगुण मानक एम ओ ई एफ तथा सी सी द्वारा वर्ष 2009 में अधिसूचित किए थे जिसमें गैसीय उत्सर्जन जैसे कि सल्फर डाईआक्साइड, नाईट्रोजन डाईआक्साइड, ओजोन, सीसा, कार्बन मोनोआक्साइड, अमोनिया, बैनजीन, बैन्जो (क), संखिया, 10 माईक्रोन तथा 2.5 माईक्रोन इत्यादि से कम आकार के निक्कल तथा विविक्त मामले शामिल हैं। संशोधित मानकों के अनुसार, आवासीय, ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में वही मानक हैं।

संशोधित परिवेशी वायु गुण मानक वायु प्रदूषण तथा जन स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए विधिक ढांचा मुहैया करते हैं जो कि बेहतर वायु गुण के लिए न्यायालय में पंहुच हेतू किसी नागरिक का प्रावधान है। भारत में ये मानक केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सी पी सी बो) द्वारा शासित है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/प्रदूषण नियन्त्रण समितियों द्वारा लागू किए जाते हैं।

सतत् परिवेशी वायु गुण मानीटरिंग में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अन्तःसम्पर्क से उपयुक्त साफ्टवेयर के साथ पी सी आधारित डाटा अर्जन प्रणाली सहित गैस तथा बी टी एक्स विश्लेषक, धूल विश्लेषक, मौसम मानीटर तथा सम्बद्ध सहायक मदों को मिलाकर सी पी सी बी/एस पी सी बी मार्गदर्शनों के अनुसार स्थिर सतत् परिवेशी वायु गुण मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना शामिल है। बोर्ड ने फरीदाबाद, गुरुग्राम , रोहतक तथा पंचकुला में चार सतत् परिवेशी वायु गुण मानीटरिंग स्टेशन स्थापित किए ह तथा इन स्टेशनों पर मानीटर डाटा प्रमुख लोक स्थानों पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं तथा बोर्ड तथा सी0 पी0 सी0 बी0 के सरवर से जुड़े हुए हैं।

9.2 वर्ष 2017-18 के लिए सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग रिपोर्ट

सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग रिपोर्ट, गुरुग्राम , पंचकुला, बहादुरगढ़ तथा फरीदाबाद के शहरों के लिए तालिकाबद्ध की गई है। डाटा तालिका के रूप में प्रस्तुत की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट-2017-18

डाटा तालिका वायु प्रदूषकों के मासिक औसत पर प्रकाश डालता है जहां पंक्ति समय को प्रस्तुत करती है तथा स्तंभ प्रदूषकों की इकाई के को प्रस्तुत करत है। स्तंभों पर प्रकाशित प्रदूषक विविक्त मामला (पीएम 2.5), नाइट्रोजन डाई ऑक्साईड (एनओटू), नाइट्रोजन ऑक्साईड (एनओएक्स), कार्बन मोनोऑक्साईड (सीओ), नाइट्रिक ऑक्साईड (एनओ) तथा सल्फर डाई ऑक्साईड (एसओ₂), ओजोन (ओ₃) तथा बेन्जीन शामिल हैं।

(क) सतत परिवेशी वायु गुण मानीटरिंग केन्द्र, गुरुग्राम

मानीटरिंग एजेंसी :	पर्यावरण एस ए इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :	एच एस पी सी बी, विकास सदन, नए न्यायालय के सामने, गुरुग्राम						
पैरामीटर/ इकाई	पीएम _{2.5}	सीओ	एनओ	एनओ ₂	एनओ _x	ओ ₃	एसओ ₂
मास	मा. ग्रा. / मी ³	मि. ग्रा. / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³
अप्रैल-17	165.22	0.58	3.96	10.86	15.46	50.80	18.14
मई-17	159.58	0.58	6.29	21.09	28.24	48.73	12.53
जून-17	130.77	0.48	5.94	14.73	21.95	25.47	3.53
जुलाई-17	93.85	0.70	6.64	16.64	22.89	23.45	5.59
अगस्त-17	49.55	0.93	4.91	26.77	27.82	29.89	6.33
सितम्बर-17	72.32	1.03	2.52	23.31	23.03	19.28	4.70
अक्टूबर-17	121.46	1.34	8.54	25.34	23.10	32.03	8.61
नवम्बर-17	211.35	2.06	12.87	22.91	23.18	29.96	8.04
दिसम्बर-17	151.89	1.68	10.82	19.95	18.79	25.74	7.12
जनवरी-18	137.04	1.05	8.25	20.45	14.50	28.15	7.57
फरवरी-18	106.69	0.77	8.75	17.99	12.80	35.93	9.45
मार्च-18	103.70	0.69	8.67	24.25	16.41	48.67	12.76

(ख) सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्र, पंचकुला

मानीटरिंग एजेंसी :	पर्यावरण एस ए इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :	एच एस पी सी बी, सी 11, सैक्टर 6, पंचकुला						
पैरामीटर / इकाई	पीएम _{2.5}	सीओ	एनओ	एनओ ₂	एनओ _x	ओ ₃	एसओ ₂
मास	मा. ग्रा / मी ³	मि. ग्रा / मी ³	मा. ग्रा / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³
अप्रैल-17	47.94	0.54	4.85	23.46	24.64	30.46	6.03
मई-17	56.01	0.65	4.12	23.23	26.49	39.57	9.40
जून-17	48.58	0.53	4.13	21.50	17.71	45.55	5.41
जुलाई-17	36.17	0.61	3.50	20.01	15.17	35.86	3.73
अगस्त-17	28.54	0.73	3.77	21.60	16.37	29.30	3.08
सितम्बर-17	35.34	0.58	2.98	19.73	14.99	33.38	3.57
अक्तूबर-17	64.22	0.81	4.12	23.58	17.87	34.78	6.22
नवम्बर-17	92.95	0.66	4.16	24.86	18.72	40.83	8.50
दिसम्बर-17	87.87	0.79	5.05	25.90	20.09	38.21	8.06
जनवरी-18	95.79	0.67	7.60	24.28	20.66	28.70	6.64
फरवरी-18	55.29	0.77	6.83	25.15	20.70	32.04	4.95
मार्च-18	103.70	0.69	8.67	24.25	16.41	48.67	12.76

(ग) सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्र, बहादुरगढ़

मानीटरिंग एजेंसी :	पर्यावरण एस ए इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :	एम डी विश्वविद्यालय, रोहतक, बहादुरगढ़						
पैरामीटर/ इकाई	पीएम _{2.5}	सीओ	एनओ	एनओ ₂	एनओ _x	ओ ₃	एसओ ₂
मास	मा. ग्रा / मी ³	मि. गा / मी ³	मा. ग्रा / मी ³	मा. ग्रा / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³	मा. ग्रा. / मी ³
अप्रैल-17	73.22	0.37	4.70	11.89	16.59	30.55	5.06
मई-17	78.11	0.53	5.30	13.13	18.59	23.19	9.52
जून-17	55.70	0.84	5.29	19.10	24.08	24.42	3.96
जुलाई-17	57.97	0.77	6.65	20.12	26.78	22.48	3.89
अगस्त-17	79.70	0.63	5.22	17.55	23.22	27.42	6.71
सितम्बर-17	129.41	0.83	16.43	16.83	26.65	27.75	6.49
अक्तूबर-17	107.37	1.79	7.17	18.56	18.11	18.71	7.32
नवम्बर-17	196.21	5.18	5.90	14.53	12.13	17.96	6.20
दिसम्बर-17	129.39	2.24	10.91	13.82	13.12	18.06	7.26
जनवरी-18	132.87	0.98	10.88	13.34	14.55	19.53	8.79
फरवरी-18	84.54	0.85	11.28	14.85	19.43	25.48	10.04
मार्च-18	92.70	0.86	17.74	16.76	24.63	25.67	12.81

(घ) सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्र, फरीदाबाद

मानीटरिंग एजेंसी :	इनवीरोटेक आनलाईन इक्वीपमेंट प्रा० लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :	एच एस पी सी बी, सैक्टर-16 ए, फरीदाबाद						
पैरामीटर / इकाई	पीएम2.5	सीओ	एनओ	एनओ2	एनओx	ओ3	एसओ2
मास	मा. ग्रा / मी ³	मा. ग्रा / मी ³	मा. ग्रा / मी ³	मा. ग्रा / मी ³	मा. ग्रा / मी ³	मा. ग्रा / मी ³	मा. ग्रा / मी ³
अप्रैल-17	85.00	1.87	36.72	47.41	84.13	53.19	21.40
मई-17	103.00	1.79	30.95	50.51	81.19	64.05	28.97
जून-17	51.00	1.22	19.07	22.67	41.77	58.67	11.97
जुलाई-17	37.00	1.03	20.45	16.10	36.71	31.74	4.70
अगस्त-17	46.00	0.81	14.58	13.48	27.74	30.11	4.55
सितम्बर-17	66.00	1.37	42.10	24.17	67.33	35.10	8.57
अक्तूबर-17	176.00	2.12	82.13	51.29	128.84	48.68	29.45
नवम्बर-17	200.00	3.07	103.97	65.97	170.03	39.10	27.18
दिसम्बर-17	138.00	2.20	116.03	89.55	206.23	30.55	19.15
जनवरी-18	186.00	2.12	78.16	82.16	160.29	25.81	10.11
फरवरी-18	137.00	1.40	77.68	72.89	146.61	35.71	17.40
मार्च-18	90.00	*	44.00	58.45	102.65	45.52	16.28

*रखरखाव अधीन

अध्याय- 10 : जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति

10.1 औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं का प्रवर्गीकरण : लाल, नारंगी, हरे तथा सफेद प्रवर्ग

बोर्ड ने केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक 07.03.2016 द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए लाल, नारंगी, हरे तथा सफेद प्रवर्गों के अधीन औद्योगिक सैक्टरों/परियोजनाओं को पुनः प्रवर्गीकृत किया है।

नए प्रवर्गीकरण के अनुसार उद्योगों/परियोजनाओं के लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्ग सहमति प्रबन्धन में आते हैं जबकि उद्योगों/परियोजनाओं के सफेद प्रवर्ग उद्योगों के सफेद प्रवर्ग में कम प्रदूषण की सम्भावना के दृष्टिगत सहमति प्रबन्धन से छूट प्राप्त है। तथापि सफेद प्रवर्ग की इकाईयां/परियोजनाओं के लिए प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र लगाने अपेक्षित हैं जहां कहीं अपेक्षित हो तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन प्रदूषकों के निवर्हन के लिए विहित मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्ग के अधीन आने वाले उद्योगों/परियोजनाओं की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :-

क्षेत्र	लाल	नारंगी	हरा	सफेद	कुल
बहादुरगढ़	251	961	51	4	1267
बल्लभगढ़	488	504	28	8	1028
धारुहेड़ा	157	511	40	5	713
फरीदाबाद	156	267	36	0	459
गुरुग्राम (उत्तर)	257	615	44	11	927
गुरुग्राम (दक्षिण)	327	375	148	85	935
हिसार	64	760	23	00	847

क्षेत्र	लाल	नरंगी	हरा	सफेद	कुल
जीन्द	78	1347	24	0	1449
पंचकुला	146	902	143	49	1240
पानीपत	385	223	22	06	636
सोनीपत	264	718	164	33	1179
यमुनानगर	301	1132	50	1	1484
कुल	2874	8315	773	202	12164

10.2 जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए सहमति

लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्ग के अधीन आने वाली सभी औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए उनकी स्थापना या कोई विस्तार या उसके अतिरिक्त के लिए बोर्ड से स्थापना के लिए पूर्व सहमति अपेक्षित है।

जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए सहमति को स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :-

क्षेत्र	31.03. 2017 को लम्बित आवेदन	2017-18 के दौरान प्राप्त आवेदन	कुल प्राप्त आवेदन	निर्णीत		लम्बित			कुल
				स्वीकृत	अस्वीकृत	एस सी एन के अधीन	डील नहीं हुए	निर्णय के लिए लम्बित	
बहादुरगढ़	0	80	80	72	8	0	0	0	0
बल्लभगढ़	0	77	77	74	3	0	0	0	0
धारुहेड़ा	0	78	78	67	11	0	0	0	0
फरीदाबाद	0	18	18	12	6	0	0	0	0
गुरुग्राम (उत्तर)	0	125	125	91	34	0	0	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	0	141	141	121	20	0	0	0	0

क्षेत्र	31.03. 2017 को लम्बित आवेदन	2017-18 के दौरान प्राप्त आवेदन	कुल प्राप्त आवेदन	निर्णीत		लम्बित			कुल
				स्वीकृत	अस्वीकृत	एस सी एन के अधीन	डील नहीं हुए	निर्णय के लिए लम्बित	
हिसार	0	45	45	34	11	0	0	0	0
जीन्द	0	95	95	83	12	0	0	0	0
पंचकुला	0	66	66	49	17	0	0	0	0
पानीपत	9	57	66	50	16	0	0	0	0
सोनीपत	9	191	200	164	36	0	0	0	0
यमुनानगर	0	257	257	217	40	0	0	0	0
कुल	18	1230	1248	1034	214	0	0	0	0

10.3 जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने की सहमति

लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्ग के अधीन आने वाली सभी औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए परीक्षण उत्पादन शुरू करने तथा पूर्व सहमति की समाप्ति से पूर्व चलाने की सहमति के नवीकरण से पूर्व बोर्ड से चलाने की पूर्व सहमति अपेक्षित है।

जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने की सहमति की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :-

क्षेत्र	सहमति प्रबन्धन में आने वाली इकाईयों की कुल संख्या	आवेदित	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित आवेदन			
					एस सी एन	डील न किए गए	निर्णय के लिए लम्बित	कुल
बहादुरगढ़	1267	1267	1243	14	10	0	0	10
बल्लभगढ़	1028	391	384	7	0	0	0	0
धारुहेड़ा	713	256	208	48	0	0	0	0

क्षेत्र	सहमति प्रबन्धन में आने वाली इकाईयों की कुल संख्या	आवेदित	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित आवेदन			
					एस सी एन	डील न किए गए	निर्णय के लिए लम्बित	कुल
फरीदाबाद	464	453	410	32	11	0	0	11
गुरुग्राम (उत्तर)	902	444	404	40	0	0	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	850	322	294	28	0	0	0	0
हिसार	847	356	332	24	0	0	0	0
जीन्द	1449	661	609	52	0	0	0	0
पंचकुला	1240	450	331	119	0	0	0	0
पानीपत	636	563	549	14	0	0	0	0
सोनीपत	1145	1135	1123	11	0	0	1	1
यमुनानगर	1486	1478	1452	26	0	0	0	0
कुल	12027	7776	7339	415	21	0	1	22

अध्याय- 11 : खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट नियम, 2016

11.1 खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार

खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2016 में आने वाली सभी औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए बोर्ड से प्राधिकार अपेक्षित है।

खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :-

क्षेत्र	एच डब्ल्यू एम नियमों में आने वाली कुल इकाई	आवेदित	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित आवेदन		
					एस सी एन	निर्णय के लिए लम्बित	कुल
बहादुरगढ़	276	276	269	3	4	0	4
बल्लभगढ़	186	186	181	5	0	0	0
धारुहेड़ा	232	62	52	10	0	0	0
फरीदाबाद	282	270	252	18	0	0	0
गुरुग्राम (उत्तर)	623	308	293	15	0	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	804	214	214	0	0	0	0
हिसार	75	46	37	9	0	0	0
जीन्द	44	43	39	4	0	0	0
पंचकुला	280	80	63	11	6	0	0
पानीपत	389	339	331	8	0	0	0
सोनीपत	344	343	330	13	0	0	0
यमुनानगर	240	237	235	2	0	0	0
कुल	3694	2404	2296	98	10	0	4

11.2 खतरनाक अपशिष्ट के रिसाईकलिंग/पुनः प्रसंस्करण के लिए रजिस्टर्ड इकाईयों की स्थिति

क्षेत्र	प्राधिकृत की कुल संख्या		कुल मात्रा
	रिसाईकलर	यूटीलाईजर	
बहादुरगढ़	46	5	163511.5 एमटीए तथा 455000 के एल ए
धारुहेड़ा	3	0	17397 एमटीए
फरीदाबाद	2	0	30000 एमटी / वार्षिक
हिसार	18	0	58280 एमटीए
पंचकुला	12	0	58108 एमटीए तथा 3000 के एल ए
पनीपत	1	0	3100 के एल ए
सेनीपत	11	0	58.5 एमटीए तथा 16022.5 के एल ए
यमुनानगर	16	0	202915.0 एमटीए
कुल	109	5	—

11.3 खतरनाक अपशिष्ट के आयात के लिए व्यापारी के रूप में प्राधिकृत इकाईयों की स्थिति।

अन्य अपशिष्ट के आयात के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यापारी जैसे कि धातु कतरन, कागज अपशिष्ट इत्यादि जो खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2016 की अनुसूची-III के भाग-घ में सूचीबद्ध हैं, अपने प्राधिकार के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्ररूप-16 में आवेदन कर सकता है जो कि एक मुश्त समय के आधार पर प्रदान किया जाता है तथा रजिस्टर्ड व्यापारी के लिए त्रैमासिक आधार पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या प्रदूषण नियन्त्रण समितियों को मात्रा सहित ऐसे आयात के ब्योरे तथा वास्तविक उपभोक्ताओं के ब्योरे प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं।

उपरोक्त कथित नियमों के अधीन इस वर्ष के दौरान वास्तविक उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) की ओर से अन्य अपशिष्ट के आयात के लिए इच्छुक ऐसे व्यापारी को प्रदान किए गए प्राधिकार की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :-

क्षेत्र	वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से अनुसूची-III के भाग-घ में सूचीबद्ध अन्य अपशिष्ट के आयात के लिए व्यापारी के रूप में प्राधिकृत इकाईयों की संख्या
फरीदाबाद	1
बल्लभगढ़	2
धारुहेड़ा	1
गुरुग्राम (उत्तर)	1
यमुनानगर	1
कुल	6

11.4 सामूहिक खतरनाक अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा में खतरनाक अपशिष्ट की प्राप्ति तथा निपटान के बारे में स्थिति

सामूहिक खतरनाक अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा राज्य सरकार तथा इस बोर्ड की सहायता से हरियाणा पर्यावरण प्रबन्धन सोसाइटी द्वारा पाली, जिला फरीदाबाद में विकसित की गई है जो कि मैसर्ज गुजरात एनवीरो संरक्षण तथा अवसंरचना (हरियाणा) (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही है।

सुविधा की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता 25000 मिट्रिक टन प्रति वर्ष है जिसमें 12 से 14 टन प्रतिदिन की भस्मक क्षमता वाले सुरक्षित भूमिभरत तथा भस्मीकरण से निपटान शामिल है।

सुविधा में वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त, प्रसंस्कृत तथा निपटान खतरनाक अपशिष्ट के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-

खतरनाक अपशिष्ट का वर्णन		एम टी में मात्रा
वर्ष के भूखंड में स्टॉक में मात्रा	भूमिभरत योग्य	0
	भस्म योग्य	4517.137
प्राप्त खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा	सीधे सुरक्षित भूमिभरत के लिए	8420.5
	उपचार के बाद सुरक्षित भूमिभरत के लिए	1198.72
	भस्मीकरण के लिए	13948.4
निपटान किए गए खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा	सीधे रूप से भूमिभरत मात्रा	8420.455
	उपचार के बाद भूमिभरत मात्रा	1214.925
	भस्मीकृत मात्रा	2742.907
विदग्धता के रूप में उपयोग के लिए पूर्व-प्रसंस्कृत मात्रा		9086.54

खतरनाक अपशिष्ट का वर्णन		एम टी में मात्रा
वर्ष की समाप्ति पर	भूमिभरत योग्य	0
स्टॉक मात्रा	भस्मयोग्य	1317.1
वित्त वर्ष की समाप्ति पर सुरक्षित भूमिभरत में खतरनाक अपशिष्ट		58725.641
क्षमता	भस्मीकरण	2.5
	भस्मीकरण	12
	भूमिभरण	140000

11.5 खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अधीन वार्षिक रिपोर्ट।

उत्पन्न, रिसाईकलड, उपयोग तथा निपटाए गए खतरनाक अपशिष्ट के ब्योरे दर्शाने वाली खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2016 के अधीन वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट नीचे दी गई है :-

क्षेत्र	जिला	खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों की संख्या	प्राधिकार के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा (एमटीए)				राज्य क्षेत्र के भीतर वार्षिक रिटर्न के अनुसार उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा (एमटीए)				वर्ष के दौरान आयात खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा (एमटीए)	वर्ष के दौरान निर्यात खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा (एमटीए)
			भूमिभरत योग्य	भस्मयोग्य	पुनरावृत्ति योग्य	उपयोग के लिए	भूमिभरत योग्य	भस्मयोग्य	पुनरावृत्ति योग्य	उपयोग के लिए		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हिसार	हिसार	83	356.9012	3	48732.42	14	80.094	2.08	23331	0	0	0
	फतेहाबाद	13	24.092	0	0.02	35	2.511	0	0	2	0	0
	सिरसा	26	14.543	0	2.315	0	8.331	0	1.372	0	0	0
धारुहेड़ा	रेवाड़ी	227	2603	5896	20109.2	440	1727.95	3674.38	1368.1	433.48	0	0
	महेन्द्रगढ़	5	0	15	2205.5	0	0	0	7.03	0	0	0
सोनीपत	सोनीपत	347	1747.43	65.5	71.555	0	1253.764	45.17	63.78	0	0	0
यमुनानगर	यमुनानगर	148	152.7108	19.32	205759.23	0	154.732	43.35	40.6272	0	0	0
	करनाल	90	89.9951	144.108	65510.93	0	62.9265	95.9973	43.33	0	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	गुरुग्राम	759	5933.003	9139.6	918	0	1261	6880.01	356	0	0	0
गुरुग्राम (उत्तर)	गुरुग्राम	554	1142.564	8989.18	2031.433	3131.44	329.082	8569.4	1368.23639	1260.42	0	0
	नूंह	47	221.3183	157.361	91.99	0	191.071	147.4	56.2	0	0	0
फरीदाबाद	फरीदाबाद	273	280.860624	9.504	47.64121	0	266.817593	9.0288	44.7827374	0	0	0
पंचकुला	पंचकुला	96	315.69	32.44	578.7	0	121	12.5	222	0	0	0
	अम्बाला	105	300.93	503.73	470.6	0	260	435	405.93	0	0	0
	कुरुक्षेत्र	41	164.9	0	432.46	0	89	0	125.53	0	0	0

वार्षिक रिपोर्ट-2017-18

क्षेत्र	जिला	खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों की संख्या	प्राधिकार के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा (एमटीए)				राज्य क्षेत्र के भीतर वार्षिक रिटर्न के अनुसार उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा (एमटी)				वर्ष के दौरान आयात खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा (एमटीए)	वर्ष के दौरान निर्यात खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा (एमटीए)
			भूमिभरत योग्य	भस्मयोग्य	पुनरावृत्ति योग्य	उपयोग के लिए	भूमिभरत योग्य	भस्मयोग्य	पुनरावृत्ति योग्य	उपयोग के लिए		
बल्लभगढ़	फरीदाबाद	632	4441.126	1237.814	655.228	0	4037.387	1125.285	624.026	0	0	0
	पलवल	121	1017.165	602.459	44.521	0	924.695	547.69	42.401	0	0	0
जीन्द	भिवानी	31	57.75	3.00	1.90	0	33.60	1.80	0.79	0	0	0
	दादरी	3	0	0.6	0.02	0	0.20	0.18	0.00	0	0	0
	जीन्द	15	5.08	5.50	0.00	0.00	4.00	5.50	0.00	0	0	0
	कैथल	5	2.35	3.00	0	0	2.28	3.00	0	0	0	0
बहादुरगढ़	झज्जर	168	834.6455	241.165	65.44	0	332.851	127.561	36.933	0	0	0
	रोहतक	103	1123.226	554.04	20.9115	12	996.092	495.58	8.1415	11	0	0
पानीपत	पानीपत	418	2004.309	310	5917.1804	0	1526.421	254.625	4962.093	0	0	0
कुल		4310	22833.5895	27932.321	353667.198	3632.44	13665.8051	22475.5371	33108.3073	1706.9	0	0

अध्याय- 12 : ई-अपशिष्ट नियम, 2016

12.1 सामान्य

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 पर्यावरणीय रूप से अदूषित रिसाईकलिंग के लिए देश में उत्पन्न ई-अपशिष्ट के चैनलाईज के मुख्य उद्देश्य से पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं जो असंगठित क्षेत्र द्वारा अधिकांश रूप से नियन्त्रित है जिसने अपशिष्ट प्रक्रिया अपनाई है जिसका परिणाम उच्चतर प्रदूषण है तथा समुत्थान कम है जिसके द्वारा कीमती संसाधनों की बर्बादी तथा पर्यावरण की क्षति होती है।

इलैक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई-अपशिष्ट को फेंके गए कम्प्यूटर, कार्यालय इलैक्ट्रॉनिक उपकरण, मनोरंजन इलैक्ट्रॉनिक्स यन्त्र, मोबाईल फोन, टेलीविजन सैट तथा रैफरीजरेटर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें प्रयुक्त इलैक्ट्रॉनिक्स शामिल है जो कि पुनःप्रयोग, पुनःबिक्री, निकाला हुआ, रिसाईकलिंग या निपटान तथा पुनः प्रयोग योग्य (चालू तथा मुरम्मत योग्य इलैक्ट्रॉनिक्स) तथा द्वितीय कुड़ा-कर्कट (तांबा, स्टील, प्लास्टिक इत्यादि) के लिए नियत है। मोटे तौर पर इसमें लोह तथा अलोह धातु, प्लास्टिक, शीशा, लकड़ी तथा प्लाईवुड, मुद्रित सर्किट बोर्ड, मृत्तिका, रबड़ तथा अन्य वस्तुएं शामिल है। तत्वों की मौजूदगी जैसे कि शीशा, पारा, संखिया, अरगजी, सलेनियम, हैक्सावालेन्ट करोमियम तथा देहली से बाहर अग्नि रिटारडैन्ट्स जो प्रकृति में खतरनाक ई-अपशिष्ट बनाते हैं।

ई-अपशिष्ट के प्रबन्धन में ई-अपशिष्ट स धातू, प्लास्टिक तथा शीशा सामग्री की प्राप्ति के लिए संग्रहण, पृथक्करण, पुनःचमकाना, विखण्डित करना तथा रिसाईकलिंग करना शामिल है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से अदूषित संग्रहण, प्रसंस्करण, विखण्डित करने तथा रिसाईकलिंग के लिए मार्गदर्शन जारी किए हैं। ई-अपशिष्ट के विखण्डक तथा रिसाईकलर को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के पास इकाईयों को रजिस्टर करना अपेक्षित है।

12.2 ई- अपशिष्ट का विखण्डित करने तथा रिसाईकलिंग के लिए रजिस्टर्ड इकाईयों के ब्यौरे

क्षेत्र	प्राधिकृत की संख्या		कुल प्राधिकृत मात्रा (एमटी)	
	रिसाईकलर	विखण्डक	रिसाईकलिंग	विखण्डित
बहादुरगढ़	1	3	5000	17440
बल्लभगढ़	0	2	0	3000
फरीदाबाद	1	1	200	200
गुरुग्राम (उत्तर)	2	0	929	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	2	5	35.825	33.333
पंचकुला	0	2	0	5425
पानीपत	1	0	5940	0
सोनीपत	0	1	0	0
कुल	7	14	12104.825	26098.333

अध्याय- 13 : बायो-मैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016

13.1 सामान्य

बायो-मैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय (एम ओ ई एफ तथा सी सी) द्वारा अधिसूचित किए गए थे। ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो किसी भी रूप में बायो-मैडिकल उत्पन्न, एकत्र, प्राप्त, स्टोर, परिवहन, उपचार, प्रबन्ध तथा निपटान का व्यापार करता है। राज्य में स्थित सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के संबंध में इन नियमों के उपबन्धों के लागूकरण के लिए "विहित प्राधिकारी" राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड है।

13.2 बायो-मैडिकल अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार की स्थिति

क्षेत्र	कुल इकाई	आवेदित	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित आवेदन		
					एस सी एन	अनिर्णीत	कुल
बहादुरगढ़	267	267	267	0	0	0	0
बल्लभगढ़	191	47	44	3	0	0	0
धारुहेड़ा	209	87	80	7	0	0	0
फरीदाबाद	225	225	225	0	0	0	0
गुरुग्राम (उत्तर)	374	120	117	3	0	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	57	57	57	0	0	0	0
हिसार	547	429	429	0	0	0	0
जीन्द	269	125	123	2	0	0	0
पंचकुला	436	294	291	3	0	0	0
पानीपत	151	149	143	6	0	0	0
सोनीपत	184	184	184	0	0	0	0
यमुनानगर	321	321	321	0	0	0	0
कुल	3231	2305	2281	24	0	0	0

13.3 बायो-मैडिकल अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे

सामूहिक अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा में बायो-मैडिकल अपशिष्ट के उपचार तथा निपटान के लिए बायो-मैडिकल अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं की सूची नीचे दी गई है :-

क्षेत्र	क्रम संख्या	इकाई का नाम तथा पता	क्षमता (कि०ग्रा० / घण्टा)
पंचकुला	1.	मैसर्ज एस के हाईजेनिक, गांव बागवाला, पंचकुला, मोबाईल:- 09466100061	150
	2.	मैसर्ज रुद्राक्ष एनवीरो केयर, गांव भड़ोग, नारायणगढ़, अम्बाला	150
जीन्द	3.	मारुति बायो मैडिकल वेस्ट प्लांट, हतेमपुरा, भिवानी	100
	4.	दिव्या वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी, गांव कण्डेला, जीन्द	100
यमुनानगर	5.	मैसर्ज हाट सुप्रीम वैस्टेक प्राईवेट लिमिटेड, गांव बजीदा जाटान, निकट रेलवे क्रासिंग, करनाल	100
फरीदाबाद	6.	मैसर्ज गोल्डन ईगल वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी, गांव - जसाना, फरीदाबाद	100
बहादुरगढ़	7.	मैसर्ज एस.डी. बायो मैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी, गांव-बालन्द, जिला रोहतक	100
गुरुग्राम (उत्तर)	8.	मैसर्ज वुलकन वेस्ट मैनेजमेंट प्रा० लि०, गांव भोण्डसी, गुरुग्राम	150

क्षेत्र	क्रम संख्या	इकाई का नाम तथा पता	क्षमता (कि०ग्रा० / घण्टा)
हिसार	9.	साईनरजी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा० लि०, 168, सैक्टर-27-28, हुड्डा औद्योगिक क्षेत्र, हिसार	500
	10.	इनविजन एनवीरो सर्विस, गांव फुल्कान, जिला सिरसा	100
	11.	सूर्या वेस्ट मैनेजमेंट, साहूवाला रोड़, गांव चाडीवाल, जिला सिरसा	100

13.4 बाया मैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति

क्र० सं०	ब्यौरे	कुल
1.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं / अधिभोगियों की कुल संख्या	3412
I.	बैडिड हस्पताल तथा नर्सिंग होम (बैडिड)	2351
II.	क्लीनिक, डिस्पेंसरीज	757
III.	पशु चिकित्सा संस्था	4
IV.	पशु घर	3
V.	पैथोलोजी प्रयोगशालाएं	176
VI.	ब्लड बैंक	11
VII.	क्लीनीकल स्थापना	66
VIII.	अनुसंधान संस्थाएं	23
IX.	आयुष	21
2.	बिस्तरों की कुल संख्या	48357
3.	प्राधिकार की स्थिति	
I.	प्राधिकार के लिए आवेदित अधिभोगियों की कुल संख्या	3024
II.	प्राधिकार स्वीकृत अधिभोगियों की कुल संख्या	2948
III.	विचाराधीन आवेदनों की कुल संख्या	47
IV.	अस्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या	29
V.	प्राधिकार के लिए आवेदन किए बिना संचालित अधिभोगियों की	352

क्र० सं०	ब्यौरे	कुल
	संख्या	
4	उत्पन्न बायोमेडिकल अपशिष्ट की मात्रा (कि०ग्रा०/दिन में) उत्पन्न	11662.91
I.	बैडिड हस्पताल द्वारा उत्पन्न बायो-मेडिकल अपशिष्ट (कि०ग्रा०/दिन में)	10305.98
II.	गैर बैडिड हस्पताल द्वारा उत्पन्न बायो-मेडिकल अपशिष्ट (कि०ग्रा०/दिन में)	1356.93
III.	कोई अन्य	36
5	बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार तथा निपटान	
क.	सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा द्वारा बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार तथा निपटान	
I.	संचालन में सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा की संख्या	11
II.	निर्माणाधीन सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा की संख्या	0
III.	कि०ग्रा०/दिन में उपचारित कुल बायो मेडिकल अपशिष्ट	11662.91
IV.	प्राधिकृत रिसाईकलर के द्वारा निपटान कुल बायो मेडिकल अपशिष्ट (कि०ग्रा०/दिन में)	2555
V.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं द्वारा उल्लंघन की कुल संख्या (बैडिड तथा गैर बैडिड)	352
VI.	सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा	0
6	चूककर्ताओं को जारी कारण बताओ नोटिस/ निर्देश	
I.	सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा	0
II.	अन्य	352
7	कोई अन्य संबंधित सूचना	
I.	वर्ष के दौरान आयोजित कर्मशाला/प्रशिक्षण की संख्या	40
II.	तरल अपशिष्ट उपचार सुविधा लगाने वाले अधिभोगियों की संख्या	170
III.	मानकों का अनुपालन करने वाले वशवर्ती भस्मकों की संख्या	0
IV.	प्रशिक्षण आयोजित करने वाले अधिभोगियों की संख्या	225
V.	बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन समितियों गठित अधिभोगियों की संख्या	0
VI.	पूर्व कलेंडर वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिभोगियों	3197

क्र० सं०	ब्यौरे	कुल
	की संख्या	
VII.	लैब माइक्रो बायोलोजी तथा बायो टैक्नोलोजी अपशिष्ट के पूर्व उपचार करने वाले अधिभोगियों की संख्या	398
VIII.	सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा की संख्या जिन्होंने सतत् ऑनलाईन उत्सर्जन मोनिटरिंग प्रणाली लगाई है	11

अध्याय- 14 : बैटरी नियम, 2001

14.1 सामान्य

बैटरी से अभिप्राय है शीशा एसिड बैटरी जो विद्युत उर्जा का स्रोत है तथा जिसमें शीशा धातु होती है। ये नियम बैटरियों या उनके घटकों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, विक्रय, क्रय तथा उपयोग में शामिल प्रत्येक विनिर्माता, आयातकर्ता, रिकन्डीशनर, एसैम्बलर, डीलर, रिसाईकलर, निलामीकर्ता, उपभोक्ता तथा बल्क उपभोक्ता को लागू होते हैं।

14.2 बैटरी (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2001 के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारियों की स्थिति

क्षेत्र	इकाईयों की संख्या
बहादुरगढ़	45
बल्लभगढ़	29
धारुहेड़ा	18
गुरुग्राम (उत्तर)	10
जीन्द	6
पंचकुला	55
पानीपत	1
कुल	164

अध्याय- 15 : प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016

15.1 सामान्य

प्लास्टिक का बहुविध प्रयोग किया जाता है तथा भौतिक तथा रासायनिक विशेषता वाणिज्यिक सफलता का द्योतक है। तथापि, प्लास्टिक का अव्यवस्थित निपटान पर्यावरण के लिए मुख्य खटका बन गया है। विशेष रूप से प्लास्टिक लिफाफे बिखरे हुए अपशिष्ट का विशाल सहयोगी हैं तथा प्रत्येक वर्ष करोड़ों प्लास्टिक लिफाफे पर्यावरण अर्थात् मृदा, जल निकायों, जल मार्गों इत्यादि में समा जाते हैं तथा यह पूर्ण रूप से अपघटित होने में औसत एक हजार वर्ष लेते हैं। इसलिए, वैज्ञानिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन की समस्या का समाधान करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन, मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए थे जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन शामिल है।

15.2 प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016 के लागूकरण की स्थिति

क्रम संख्या	विवरण	टी पी ए के ब्योरे तथा मात्रा	
1	प्रतिवर्ष अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन टन	73581	
2	प्लास्टिक विनिर्माण इकाईयों की संख्या (जिसमें बहुपरत, कुड़ाखाद योग्य प्लास्टिक इकाईयां शामिल हैं)	प्लास्टिक इकाईयां	0
		कुड़ाखाद योग्य प्लास्टिक इकाईयां	0
		बहुपरत प्लास्टिक इकाईयां	10
3	राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए पृथक अधिनियम/अधिसूचना, यदि कोई हो	शहरी स्थानीय विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.08.2013 अदूषित तथा रिसाईकल्ड प्लास्टिक लिफाफों के विनिर्माण, विक्रय, वितरण,	

		स्टाकिंग, परिवहन तथा उपयोग तथा प्लास्टिक खाद्य सामग्री के लिए प्रयुक्त रिसाईकल्ड प्लास्टिक डिब्बों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाती है।
4	उल्लंघन कर्ताओं की संख्या जिनके विरुद्ध शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा जारी दिनांक 20.08.2013 की अधिसूचना के उपबन्धों के अनुपालन के लिए कार्रवाई की गई है। का चालान किया और लगभग रु। उल्लंघनकर्ताओं से 15,79,500 की वसूली की जाती है	1101 उल्लंघनकर्ताओं का चालान किया और उल्लंघनकर्ताओं से लगभग रु 15,79,500 की वसूली की जाती है

अध्याय- 16 : प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.1 अटैण्ड किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कर्मशालाओं के ब्यौरे

क्रम संख्या	प्रशिक्षण शोर्षक	अनुसूची	प्रशिक्षण संस्था	प्रशिक्षण अटैण्ड करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम
1.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामांकन- जल और वायु गुणवत्ता निगरानी नमूनाकरण, विश्लेषण और डेटा प्रबंधन	15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नवम्बर, 2016	हरियाणा लोक प्रशासन संस्था, मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्र, पंचकुला (हिपा)	1. श्री विपिन कुमार, एईई 2. श्री अजय सिंह, एईई 3. श्री सुनील श्योराण, वैज्ञानिक -बी 4. श्री हरीश कुमार, एईई 5. श्री सिद्धार्थ, एईई 6. श्री नवनीत कुमार, एईई 7. श्री राम निवास, एससी-बी 8. श्री भूपिंदर सिंह, ईई 9. श्रीमती पिंकी, वैज्ञानिक -बी 10. श्री नितिन मेहता, एईई 11. श्री परदीप सिंह, एईई 12. श्री विनय गिल, एईई 13. श्री राजेश गढ़िया, वैज्ञानिक -सी 14. श्रीमती मोनिका, वैज्ञानिक -बी 15. श्रीमती मीता सारेन, वैज्ञानिक -बी
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामांकन- कार्बन उत्सर्जन रेटिंग की गणना के लिए माप और पद्धति	02-04 अगस्त, 2017	हरियाणा लोक प्रशासन संस्था, 76, हिपा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर -18, गुरुग्राम (हिपा)	1. श्री दिनेश कुमार, एईई 2. श्री राजिंदर सिंह, जेईई 3. श्री नवनीत भारद्वाज, एईई 4. श्री रविंद्र यादव, जेईई 5. श्री ओमबीर सिंह, जेईई
3	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामांकन-	21-25 अगस्त, 2017	हरियाणा इंस्टीट्यूट	1. श्रीमती आकांशा तंवर, एईई 2. श्री संदीप सिंह, एईई

वार्षिक रिपोर्ट-2017-18

क्रम संख्या	प्रशिक्षण शोर्षक	अनुसूची	प्रशिक्षण संस्था	प्रशिक्षण अटैण्ड करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम
	पर्यावरणीय विधान, व्याख्या, प्रवर्तन कानूनी और वैधानिक आवश्यकताएँ-केस अध्ययन (मध्य और वरिष्ठ स्तर)		ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 76, हिपा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर -18, गुरुग्राम।	3. श्री शक्ति सिंह, एईई 4. श्रीमती नेहा सहारन, एईई 5. श्री रणबीर सिंह राठी, वैज्ञानिक-बी
4	राष्ट्रीय हरी वाहिनी योजना के तहत इकोक्लब के लिए मास्टर ट्रेनर-03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (15.09.2017 से 17.09.2017)	15-17, सितंबर, 2017	निदेशक पर्यावरण विभाग हरियाणा, चंडीगढ़-राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, सेक्टर -12, चंडीगढ़ में।	पर्यावरण अभियंता (एनके), एचएसपीसीबी।
5	पर्यावरण डेटा, व्याख्या, संकलन, विश्लेषण, प्रशिक्षण और मामल के अध्ययन पर प्रस्तुति "प्रशिक्षण और केस अध्ययन पर हाथ" पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित। 25-29 सितंबर, 2017 से	25-29 सितंबर, 2017	निदेशक पर्यावरण विभाग हरियाणा, चंडीगढ़-	1. श्रीमती मीता सरोन वैज्ञानिक-बी 2. श्रीमती मोनिका, वैज्ञानिक-बी 3. श्री सचिन कुमार, जेईई 4. श्रीमती समिता कनोडिया, एईई 5. कमलजीत सिंह, एईई
6	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	09-13 अक्टूबर, 2016	आई आई डब्ल्यू एम बेंगलुरु	श्री दिनेश कुमार, सीनियर वैज्ञानिक

वार्षिक रिपोर्ट-2017-18

क्रम संख्या	प्रशिक्षण शोर्षक	अनुसूची	प्रशिक्षण संस्था	प्रशिक्षण अटैण्ड करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम
7	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	12-14 अक्टूबर, 2017	पंजाब विश्वविद्यालय	श्री रणबीर सिंह, वैज्ञानिक-बी
8	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	20-22 नवंबर, 2017	आई आई टी, रुड़की	श्री संदीप सिंह, एईई
9	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	21-25 नवंबर, 2017	एन आई ओ एच, अहमदाबाद	श्री सुखराम, एसएसए
10	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	27-29 नवंबर, 2017	ईपीटीआरआई हैदराबाद	श्री सतिंदर पाल, ईई
11	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 नवंबर, 01 दिसंबर 2017	टैरी विश्वविद्यालय दिल्ली	श्री विनय गिल, एईई
12	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	04-06 दिसंबर, 2017	पीसीआरआई हरिद्वार	श्री नितिन मेहता, एईई
13	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा	07-09 दिसंबर, 2017	पी जी आई एम ई आर चंडीगढ़	श्रीमती पिकी, वैज्ञानिक-बी

वार्षिक रिपोर्ट-2017-18

क्रम संख्या	प्रशिक्षण शोर्षक	अनुसूची	प्रशिक्षण संस्था	प्रशिक्षण अटैण्ड करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम
	प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम			
14	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	13-15 दिसंबर, 2017	एनपीसी दिल्ली ट्रेनिंग वेन्यू: एनपीसी-चेन्नई	श्री सचिन नरवाल, आईई
15	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	02-05 जनवरी, 2017	नीरी दिल्ली जोनल सेंटर	श्री राज कुमार, वैज्ञानिक-बी
16	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	05-09 फरवरी, 2018	एन एल एस आई यू, बेंगलोर	श्री निर्मल कश्यप, आईई
17	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	05-09 फरवरी, 2018	आई एस आई, दिल्ली	श्रीमती नेहा सहारण, आईई
18	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	07-09 फरवरी, 2018	टी ई आर आई, दिल्ली	श्री राजिंदर सिंह, जेईई
19	पर्यावरणीय विनियम 2017-18 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	20-22 फरवरी, 2018	सीपीसीबी दिल्ली	श्री सुनील श्योराण, वैज्ञानिक-बी

अध्याय- 17 : लोक शिकायतों का निवारण

17.1 प्राप्त लोक शिकायतों तथा निपटान की गई लोक शिकायतों की स्थिति

क्षेत्र	के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की संख्या				निपटान की गई शिकायतों की संख्या				लम्बित शिकायतों की संख्या			
	हार्ड कॉपी	हर समाधान	सी एम शिकायत पोर्टल	कुल	हार्ड कॉपी	हर समाधान	सी एम शिकायत पोर्टल	कुल	हार्ड कॉपी	हर समाधान	सी एम शिकायत पोर्टल	कुल
बहादुरगढ़	40	0	40	80	40	0	40	80	0	0	0	0
बल्लभगढ़	13	0	36	49	13	0	36	49	0	0	0	0
धारुहेड़ा	59	0	30	89	59	0	29	88	0	0	1	1
फरीदाबाद	0	0	58	58	0	0	51	51	0	0	7	7
गुरुग्राम (उत्तर)	2	0	38	40	2	0	38	40	0	0	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	30	0	5	35	30	0	5	35	0	0	0	0
हिसार	37	0	63	100	37	0	63	100	0	0	0	0
जीन्द	5	0	92	97	5	0	92	97	0	0	0	0
पंचकुला	58	0	64	122	52	0	63	115	6	0	1	7
पानीपत	0	0	58	58	0	0	58	58	0	0	0	0
सोनीपत	13	0	36	49	13	0	36	49	0	0	0	0
यमुनानगर	17	0	135	152	17	0	135	152	0	0	0	0
कुल	274	0	655	929	268	0	646	914	6	0	9	15

अध्याय- 18 : पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई आई ए) अधिसूचना के अधीन लोक सुनवाई

18.1 सामान्य

ई आई ए अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अधीन अपेक्षित सरकारी जांच प्रक्रिया के भाग के रूप में लोक सुनवाई की गई है। यह हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक जनसभा में लिखित अनुरोध को स्पष्ट करने तथा समस्याओं पर विचार, जांच करने के लिए अवसर मुहैया कराती है। स्थान पर उपस्थित व्यक्ति को पर्यावरणीय समाशोधन की अपेक्षा के लिए परियोजना प्रस्तावकों से परियोजना की जानकारी या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर प्रदान किया जाता है तथा भागीदारों द्वारा अभिव्यक्त सभी विचार तथा मामले लोक सुनवाई की कार्यवाही में अभिलिखित तथा प्रतिबिम्बित किए जाते हैं जिनपर ई आई ए अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अधीन परियोजना प्रस्तावकों के पर्यावरणीय समाशोधन के मामलों का निर्णय करते समय प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है।

लोक सुनवाई की प्रक्रिया में कोई संगठन या व्यक्ति या तो निवेदन पर बोलने या साधारणतया कार्यवाही का अवलोकन करने के लिए भाग ले सकता है।

18.2 बोर्ड द्वारा आयोजित लोक सुनवाई के ब्यौरे

क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की संख्या जहां लोक सुनवाई आयोजित की गई है
धारुहेड़ा	3
बहादुरगढ़	2
बल्लभगढ़	0
फरीदाबाद	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	0
गुरुग्राम (उत्तर)	2
हिसार	0
जीन्द	0
पानीपत	0
पंचकुला	2
सोनीपत	0
यमुनानगर	2
कुल	11

अध्याय- 19 : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

19.1 सामान्य

सूचना का अधिकार अधिनियम (आर टी आई) प्रत्येक सरकारी प्राधिकारियों से विस्तृत प्रसार के लिए तथा सूचना के कतिपय प्रवर्गों की पूर्व सक्रियता के लिए अपने रिकार्ड को कम्प्यूट्रीकृत करने की अपेक्षा करता है ताकि औपचारिक रूप से सूचना के लिए अनुरोध हेतु नागरिक को कम से कम आवश्यकता का सहारा लेना पड़े।

एच एस पी सी बी बोर्ड की वेबसाईट अर्थात् www.hspcb.gov.in पर आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 4 की अनुपालना में सुसंगत सूचना मुहैया करता है।

19.2 प्राप्त किए गए तथा निपटाए गए आवेदनों के ब्योरे

(क) बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा

क्षेत्र	आवेदनों की संख्या			संग्रहित फीस की राशि	अतिरिक्त दस्तावेजों के मददे संग्रहित फीस की राशि
	प्राप्त	निपटान	प्रक्रिया में		
बहादुरगढ़	80	80	0	70	0
बल्लभगढ़	69	69	0	750	0
धारुहेड़ा	61	61	0	260	1244
फरीदाबाद	53	53	0	490	0
गुरुग्राम (उत्तर)	147	147	0	0	0
गुरुग्राम (दक्षिण)	105	105	0	480	0
हिसार	84	84	0	1180	196
जीन्द	85	85	0	200	100
पंचकुला	60	59	1	1600	1510
पानीपत	50	50	0	180	950
सोनीपत	60	60	0	600	0

यमुनानगर	136	136	0	1310	1157
कुल	990	989	1	7120	5157

(ख) बोर्ड के मुख्यालय द्वारा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन वर्ष 2017-18 के दौरान मुख्यालय में कुल 257 आवेदन प्राप्त हुए थे तथा वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 31.03.2017 तक 257 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था। आर टी आई आवेदनों के लिए फीस के रूप में 6030/- रुपये संग्रहित किए थे जबकि आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज मुहैया कराने के लिए प्रभारों के मददे 1610/- रुपये संग्रहित किए थे।

अध्याय- 20 : आय तथा व्यय विवरणी

20.1 वित्त वर्ष 2017-18 क लिए वास्तविक प्राप्तियों के ब्यौरे

क्रम संख्या	लेखा भीर्श	वास्तविक प्राप्ति (लाख रुपये में)
1	नमूना जांच फीस	74.95
2	जल सहमति फीस	2254.43
3	वायु सहमति फीस	1234.03
4	एन ओ सी फीस	756.87
5	लोक सुनवाई	17.19
6	प्राधिकार फीस/मान्यता फीस/अदूषित प्रदूषण फीस/ अपील फीस/सूचना का अधिकार फीस विविध प्राप्ति/स्टाफ कार का विक्रय	135.90
7	उपकर प्राप्तियां (भारत सरकार से)	229.63
8	(क) जमा पर ब्याज	2173.73
	(ख) स्टाफ को दिए गए अन्य अग्रिम पर ब्याज	7.28
9	केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एन डब्ल्यू एम पी) से सहायता अनुदान	6.37
10	राज्य सरकार से सहायता अनुदान (निदेशक, पर्यावरण), कार्य योजना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुड़गांव, सीएफएल आदि का निपटान	0.00
	कुल	6890.38

20.2 वित्त वर्ष 2017-18 के वास्तविक खर्च के ब्योरे

क्रम संख्या	लेखा भीर्ष	वास्तविक खर्च (लाख रुपये में)
(क)	<u>वेतन</u>	
1	वेतन तथा भत्ते	2150.69
2	चिकित्सा खर्च	24.05
3	यात्रा भत्ता	10.79
	उप कुल	2185.53
(ख)	<u>अनुरक्षण</u>	
1	कार्यालय खर्च तथा अन्य खर्च	283.88
2	विधिक खर्च	45.14
3	व्यावसायिक फीस	6.93
	उप कुल	335.95
(ग)	<u>अनावर्ती</u>	
1	फर्नीचर तथा फिक्सचर	0.93
2	कार्यालय मशीन तथा उपकरण	4.47
3	कार्यालय का कम्प्यूट्रीकरण	46.14
4	वाहन	0.00
5	पुस्तकालय पुस्तकें तथा पत्रिकाएं तथा कम्प्यूटर आधारित सूचना	0.17

6	लैब उपकरण/सामग्री/खर्च, कम्प्यूटर तथा मोडिव खर्च तथा कम्प्यूटर, पैरीफरल लेखन सामग्री खर्च	44.14
	उप कुल	<u>95.85</u>
(घ)	<u>कर्ज तथा अग्रिम</u>	
1	कर्ज तथा अग्रिम	4.46
(ङ)	कार्यालय भवन तथा आवासीय कम्पलैक्स का निर्माण/खरीद	0.0
(च)	अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं, रिपोर्ट तथा अध्ययन	37.72
(छ)	ई.टी.पी. स्थापना के लिए उद्योगों को वित्तीय सहायता	0.00
(ज)	ईको क्लब/पर्यावरण जागरुकता	100.30
	I. राज्य सरकार .	
	II. भारत सरकार .	
	III. एच एस पी सी बी .	
	कुल	<u>142.48</u>
		<hr/>
कुल योग	क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज	<u>2759.81</u>



हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सी 11, सैक्टर 6, पंचकुला – 134109
वेबसाइट-एचएसपीसीबी.जीओवी.इन